न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

अनवान – प्रमोद कुमार बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :– दुरुस्ती प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 84/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10/10/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसील सूरतगढ़ के चक 4 के.एस.एल. की जमाबंदी सम्वत् 2070-73 के खाता सं. 107/1 में तथा चक 16.800 आर.डी.एल. के खाता सं. 4/4 में प्रार्थी प्रमोद कुमार, मंजू देवी, विनोद कुमार के पिता का नाम सहवन से पतराम अंकित हो गया है जबकि उनके पिता का सही नाम मदनलाल है। पतराम प्रार्थी के नाना का नाम है। रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पिता का सही नाम मदनलाल है। प्रार्थी द्वारा 100/- रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इंतकाल रजिस्टर में सही अंकन है, लेकिन जमाबंदी में गलत अंकन हो गया है। अतः प्रा. पत्र स्वीकार कर शुद्धि की जानी उचित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसील सूरतगढ़ के चक 4 के.एस.एल. के ख.नं. 115/40 की 1.250 हैक्टेयर अ.क./क्याणु मय खाला एवं चक 16.800 RDL के ख.नं. 116/17 की 2.703 हैक्टेयर क्याणु आदि में प्रमोद कुमार - मन्जु देवी - विनोद कुमार के पिता का नाम पतराम के स्थान पर मदनलाल दर्ज करने का आदेश किया जाता है। इसी [illegible] राजस्व रिकार्ड में अंकन हो। [illegible] नंबर से दर्ज हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2024/197

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.15 13:29:16 IST
Reason: SelfAttested